न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम–, सुपौल

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 843 / 2026

परिवाद पत्र संख्या–5सी / 2025

	इन्तियाज साह ..... आवेदक बनाम् बिहार सरकार..... विपक्षी	
16 / 06 / 26	प्रार्थी अभियुक्त इन्तियाज साह की ओर से परिवाद पत्र संख्या–5सी / 2025 में अपनी गिरफतारी की आशंका दिखाते हुए अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसे प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री भरत भूषण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष हैं एवं उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी अभियुक्त की ओर से इस जमानत आवेदन से पूर्व अन्य कोई भी जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त को गांव की गंदी राजनीति के तहत झूठा फंसाया गया है तथा लगाया गया आरोप बनावटी व मनगढंत है। प्रार्थी अभियुक्त धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 का अनुपालन करने, सक्षम जमानतदार देने एवं न्यायालय की हर शर्त मानने को तैयार है। अतः विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री कमल नारायण यादव द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है। प्रस्तुत वाद सूचक / परिवादी जहॉगीर साह के परिवाद पत्र के आधार पर दर्ज किया गया है। परिवादी / सूचिका का संक्षेप में कथन है कि 9 माह पूर्व अभियुक्तगण परिवादी का लड़का फारूख साह, रियाज साह एवं मो0 आलम को दुबई मजदुरी करने के लिए भेजने तथा विजा बनवाने हेतु दो लाख रूपया प्रत्येक व्यक्ति से कुल 6 लाख रूपया का मॉग किया तथा विश्वास दिलाया कि वे लोग तीनों व्यक्तियों को मजदुरी करने के लिए विजा बनाकर दुबई भेज देगें। उपरोक्त बातों पर विश्वास कर कुल 6 लाख रूपया गवाहों के समक्ष अभियुक्तगण को दिया तथा उक्त रा ि ा लेकर अभियुक्तगण ने तीन महीना के अन्दर तीनों व्यक्ति का तीन वर्ष के लिए मजदुरी करने हेतु विजा बनवाकर दुबई भेज देने का आश्वासन दिलाया। तीन महीना से अधिक अवधि बीत जाने के बाद भी दुबई नहीं भेजा तथा तगादा करने पर अभियुक्तगण बराबर ताल–मटोल करते आ रहे थे। दिनांक 29 / 12 / 24 को समय करीब 10 बजे परिवादी अपना लड़का फारूख साह तथा रियाज साह, अजीम साह एवं मो0 आलम के साथ अभियुक्तगण के घर पर जाकर 09 माह पूर्व दिया हुआ कुल 6 लाख रूपया वापस करने के लिए कहा तो अभियुक्त इम्तियाज साह ने आदेश दिया कि इसे रूपया वापस भेजने का मजा चखा दो, तथा इन लोगों को मारपीट कर सभी सामान छीन लो। उक्त आदेश पर सभी ने मारपीट कर सामान छीन लिया तथा गाली–गलौज किया। मुमताज साह ने परिवादी के बदन पर से चादर छीन लिया। अम्मो साह रियाज के जेब से पॉच हजार रूपया ले लिया तथा सभी धक्का–मुक्का देकर भग दिया और बोला कि अब पूर्व में लिया गया 6 लाख रूपया वापस नहीं करेंगें। सुना व अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध परिवादी के दो पुत्र एवं एक अन्य व्यक्ति को विजा बनवाकर मजदूरी करने के लिए दुबई भेजने के लिए 6 लाख रूपया लेने एवं दुबई नहीं भेजने पर परिवादी द्वारा 6 लाख रूपया वापस मांगने पर उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करने एवं सामान छीनने का आरोप है। अभिलेख से स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद परिवाद पत्र आधारित है तथा परिवादी का शपथ पर बयान एवं	लगातार.....

16/06/26 लगातार	जांच साक्ष्य के क्रम में उपस्थित साक्षियों का साक्ष्य लेने के पश्चात प्रार्थी अभियुक्त सहित अन्य अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 318(4) बी0एन0एस0 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया है। प्रार्थी अभियुक्त के जमानत आवेदन के कंडिका 3 के अनुसार उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है परंतु प्रार्थी अभियुक्तगण के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आलोक में प्रार्थी अभियुक्त इन्तियाज साह को अग्रिम जमानत का लाभ देना न्यायोचित नहीं समझता हूँ। तदनुसार प्रार्थी अभियुक्तगण की ओर से दाखिल **अग्रिम जमानत आवेदन अस्वीकृत** किया जाता है। लेखापित ह0/– (दिलीप कुमार सिंह) जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम–सह– विशेष–न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0), सुपौल	